भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

No.2015/H-1/18/13/Training **New Delhi, dated 24.10.2016**

The General Managers,
All Indian Railways/All Production Units,The Director General, RDSO, Lucknow, Chief Administrative Officers,DMW & RWP.

Sub:- Provision of Clinical Training to students of recognized paramedical college in Railway Hospitals

The proposals received from various Railways regarding imparting of clinical training to Para Medical Staff has been considered in Board's office. Accordingly, sanction of the Railway Board is hereby accorded to impart clinical training to Para Medical Staff i.e. Nursing / MLT / Physiotherapy / Radiography students in Railway Hospitals. The salient features of the training are as under:

1.	Objective	For imparting Clinical training to students of para-medical courses – Railway Hospital will serve as the hospital setting
2.	Eligibility	Students pursuing full time course in Nursing / MLT / Physiotherapy / Radiography from any recognized para medical college of National repute
3.	Duration	As per requirement of college / Course
4.	Subject/Specialty for training	Nursing, Medical Laboratory Technician, Radiography and Physiotherapy
5.	Fee charges	Fee from the candidates may be charged as per existing State / local Government Rules.
6.	Documents required	Application from College directly or from student duly forwarded by their college
7.	No. of Training seats	Where there are 50 or more beds. Number of students to be limited:- d) Nursing students one per bed/day to be divided into two shifts but no night duty. e) Medical Laboratory Technician and Radiographer students, five per Railway Lab asstt / Radiographer on duty. f) Physiotherapy students ten per physiotherapist on duty.
8.	How to apply	College will apply directly to the In charge of the Railway Hospital giving detail of training-Subject/duration/Name of student etc.
9.	Procedure of selection	First come First basis subject to availability of seats
10.	Training completion certificate	Training completion certificate will be issued by In-charge of the concerned Hospital.

This issues with the concurrence of the Finance Dte. of the Ministry of Railways.

(Dr.Praval Pant)
Director/IH
Railway Board

No. 2015/H-1/18/13/Training **New Delhi, dated 24.10 .2016**

1. **The FA&CAOs, All Indian Railways & All Production Units.**
2. **The Chief Medical Directors,Officers,Supdts., All Indian Railways & All PUs.**
3. **The Chief Personnel Officers, All Indian Railways & All Production Units.**
4. **The Principal Directors of Audit, All Indian Railways & All Production Units**
5. **The Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No. 222, Rail Bhavan, New Delhi**

for Financial Commissioner/Railways

Copy for DDF(E) 1 & F (E) Spl., Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2015/एच-1/18/13/ट्रेनिंग नई दिल्ली, दिनांक 24.10.2016

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें/सभी उत्पादन इकाइयां, महानिदेशक, अ.अ. एवं मा.सं., लखनऊ.
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, डीजल आधुनिकीकरण कारखाना और रेल पहिया संयंत्र

विषय: रेल अस्पतालों में मान्यताप्राप्त पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों की क्लीनिकल प्रशिक्षण का प्रावधान।

बोर्ड कार्यालय में पैरामेडिकल कर्मचारियों को क्लीनिकल प्रशिक्षण देने के संबंध में विभिन्न रेलों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया गया है। तदनुसार, रेलवे अस्पतालों में पैरा मैडिकल कर्मचारियों अर्थात् नर्सिंग/एमएलटी/फिजियोथेरपी/रेडियोग्राफी छात्रों को क्लीनिकल प्रशिक्षण प्रदान करने की रेलवे बोर्ड की एतद्द्वारा स्वीकृति दी जाती है। इस प्रशिक्षण की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

1.	उद्देश्य	पैरा-मैडिकल पाठ्यक्रम के छात्रों को क्लीनिकल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए रेलवे अस्पताल, अस्पताल सैटिंग के रूप में कार्य करेगा।
2.	पात्रता	राष्ट्रीय स्तर के किसी प्रतिष्ठित मान्यताप्राप्त पैरामैडिकल कॉलेज से नर्सिंग/एमएलटी/फिजियोथेरपी/रेडियोग्राफी में पूर्णकालिक पाठ्यक्रम वाले छात्र
3.	अवधि	कॉलेज/पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार
4.	प्रशिक्षण का विषय/विशेषज्ञता	नर्सिंग, मैडीकल लैबोरेटरी तकनीशियन, रेडियोग्राफी और फिजियोथेरपी
5.	शुल्क प्रभार	राज्य/स्थानीय सरकार के मौजूदा नियमों के अनुसार उम्मीदवारों से शुल्क लिया जा सकता है।
6.	अपेक्षित दस्तावेज	कॉलेज से सीधे या छात्र से उसके कॉलेज द्वारा विधिवत रूप से अग्रेषित आवेदन पत्र
7.	प्रशिक्षण की सीटों की संख्या	जहां 50 या उससे अधिक विस्तरें हैं छात्रों की संख्या की सीमा निम्नानुसार होगी:- घ) नर्सिंग छात्रों को प्रति विस्तर/प्रति दिन दो शिफ्टों में लगाया जाएगा परन्तु रात्रिकालीन ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। ड.) ड्यूटी पर तैनात प्रत्येक रेलवे लैबोरेटरी सहायक/रेडियोग्राफर के साथ पॉच मैडिकल लैबोरेटरी तकनीशियन और रेडियोग्राफर छात्रों को लगाया जाएगा। च) ड्यूटी पर तैनात प्रत्येक फिजियोथेरपिस्ट के साथ दस फिजियोथेरपी छात्रों को लगाया जाएगा।
8.	आवेदन किस प्रकार करें	कॉलेज प्रशिक्षण का ब्यौरा-विषय/अवधि/छात्र का नाम आदि देते हुए रेलवे अस्पताल के प्रभारी को सीधे आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा।
9.	चयन की प्रक्रिया	सीटों की उपलब्धता के अनुसार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर।
10.	प्रशिक्षण पूरा करने का प्रमाणपत्र	संबंधित अस्पताल के प्रभारी द्वारा प्रशिक्षण पूरा करने का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(डॉ. प्रवाल पंत)
निदेशक/आईएच
रेलवे बोर्ड

सं. 2015/एच-1/18/13/ट्रेनिंग नई दिल्ली, दिनांक 24.10.2016

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
2. मुख्य चिकित्सा निदेशक, अधिकारी, पर्यवेक्षक, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
3. मुख्य कार्मिक अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
4. प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
5. भारत के उप-नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते वित्त आयुक्त/रेलवे

प्रतिलिपि उपनिदेशक वित्त (स्था.)। और वित्त(स्था.)विशेष, रेलवे बोर्ड, को प्रेषित।